




न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

51

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 740-तीन/2014

जिला टीकमगढ़

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 11-03-2015       | <p>आवेदक अधिवक्ता को समयसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर तथा कायमी के बिन्दु सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 85/स्वमेव निगरानी/1999-2000 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 29-4-2002 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक द्वारा यह निगरानी 14 वर्ष से भी अधिक समय के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, धारा 5 के आवेदन पत्र में इतने अधिक विलम्ब के संबंध में कोई समाधानकारक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं, केवल वाद प्रचलन के दौरान पिता का स्वर्गवास होना दर्शाया है इससे विलम्ब को क्षमा किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रथमदृष्टया प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> <br/>                     प्रशासकीय सदस्य                 </p> |  |